न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पचलंगी

बनाम

श्री प्रहलाद पुत्र श्री देवीसहाय जाति जाट निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

पीठासीन अधिकारी :– भीम सेन सैनी

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 07/2024 **निर्णय दिनांक 28.08.2024**

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पचलंगी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2081 में मौजा ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 1009 कुल रकबा 0.57 है. किस्म बंजड में से 0.10है0 सरकारी भूमि पर श्री प्रहलाद पुत्र देवीसहाय जाति जाट निवासी पचलंगी ने अनाधिकृत रुप से उक्त भूमि पर अवैध रूप से पक्का मकान व तारबंदी कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2024 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–यह है कि प्रार्थी ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी की सरहद में भूमि ख0न0 1009 रकबा 0.10है0 भूमि पर प्रार्थी के जन्म से ही पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर तब से प्रार्थी का कब्जा यथावत कायम है। और इस भूमि को प्रार्थी ने बहुत ही कडी मेहनत करके इस भूमि में हरे पेड लगा रखे है फसल बोई हुई हैं। उक्त भूमि पर तारबंदी व छडी लगाकर फसल लगा रखी है। तथा प्रार्थी के पास इस भूमि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी भूमिहीन है। अतः श्रीमानजी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को इस भूमि के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करवाने की अनुकम्पा करें।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम बागोरा पटवार हल्का बागोरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 1009 कुल रकबा 0.57 है. किस्म बंजड में से 0.10है0 सरकारी भूमि पर श्री प्रहलाद पुत्र देवीसहाय जाति जाट निवासी पचलंगी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/– रुपये (अक्षरे रू. पच्चास रूप्ये मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज **दिनांक 28.08.2024** को खुले इजलास सुनाया गया।

(भीम सेन सैनी)

तहसीलदार उदयपुरवाटी

नीमकाथाना

तहसीलदार उदयपुरवाटी